महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-1626/9-8-2012-37ज/2012

प्रेषक

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 16 जुलाई, 2012

विषयः नागर निकायों द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि नागर निकायों द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास यथा सड़क निर्माण, नाला निर्माण, नाली निर्माण, मार्ग प्रकाश, पेयजल, सालिड वेस्ट के निस्तारण हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये विभिन्न कार्यो को निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के साथ नहीं कराया गया है और कहीं-कहीं योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यो से भिन्न कार्य कराये गये है। इस विषय में निकायों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश भी जारी किये गये है।

शासन ने इस योजना के अन्तर्गत निकायों द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कराये गये कार्यो की गुणवत्ता में कमी होने एवं कार्यों का निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने की शिकायतों को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न नागर निकायों द्वारा कराये गये कार्यो की गुणवत्ता की जॉच हेतु निम्नानुसार जाँच समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया है :

(अ) प्रदेश के जिन जनपदों में नगर निगम है उन जनपदों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है जिसमें जनपद के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम तथा जल निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अभियन्ता सदस्य के रूप में नामित होंगे। योजना के अन्तर्गत यदि निकायों द्वारा पेयजल, सीवरेज एवं नाले निर्माण का कार्य कराया गया हो तो जल निगम के अधिशासी अभियन्ता तथा यदि सड़क निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य हो तो सी0 एण्ड 0डी0 एस0 के अधिशासी अभियन्ता सदस्य के रूप में नामित होंगे।

(ब) प्रदेश के जिन जनपदों में नगर निगम नहीं है, वहाँ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जो अपर जिलाधिकारी से निम्न न हो, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय, जिसमें सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जल निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी तथा किसी अन्य विभाग के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी सदस्य के रूप में नामित होंगे। योजना के अन्तर्गत यदि निकायों द्वारा पेयजल, सीवरेज एवं नाले निर्माण का कार्य कराया गया हो तो जल निगम के अधिशासी अभियन्ता तथा यदि सड़क निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य हो तो सी0 एण्ड0 डी0 एस0 के अधिशासी अभियन्ता सदस्य के रूप में नामित होंगे।

उपर्युक्तानुसार गठित जाँच समिति प्रदेश के नगर निगमों से आच्छादित होने वाले जनपदों तथा अन्य जनपदों में स्थित स्थानीय नागर निकाय, जिन्हें आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु शासन द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है, उसके सापेक्ष निकायों द्वारा कराये गये कार्यो की गुणवत्ता की विधिवत जाँच करेगी।

उपरोक्तानुसार गठित जॉच समितियां अपने जनपद की समस्त निकायों की समेकित जाँच रिपोर्ट संस्तुति सहित दो माह के अन्दर शासन को प्रस्तुत करेगी।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

1. प्रतिलिपि समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0) को इस आशय से प्रेषित कि जाँच समिति के समक्ष आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत किये गये कार्यो एवं अवमुक्त धनराशि का पूर्ण विवरण तथा अन्य आवश्यक अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत करेंगे।
2. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

13-7-2012

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

GO general